आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
06.10.15	**न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा** **अपराध नियंत्रण वाद सं0 49/2015** **सरकार मार्फत पुलिस अधीक्षक, सारण** **बनाम** **रंजीत कुमार ब्याहुत, थाना–खैरा** आदेश पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के पत्रांक 5391/चुनाव/गो0, दिनांक 29.08.2015 के द्वारा सकिय असामाजिक तव्व रंजीत कुमार ब्याहुत, पे0–पुरन साह, सा0– कारीपुर नगरा, थाना–खैरा (नगरा ओ0पी0), जिला–सारण के विरूद्व बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–3 के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रस्ताव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,सदर,छपरा के ज्ञापांक 3134, दिनांक 25.09.15 पर आधारित है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नांकित कांडों को आधार बनाया गया है:– 1. खैरा थाना (नगरा ओ0पी) कांड संख्या–10/15, दिनांक 27.01.15 धारा–147/148/149/323/307/379/427 भा0द0वि। 2. खैरा थाना (नगरा ओ0पी0) कांड संख्या–11/15, दिनांक 27.01.15धारा–147/148/149/153(ए)/323/307/337/353/427 भा0द0वि। इसके अतिरिक्त, आसन्न बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के मद्देनजर आपके द्वारा अपने क्षेत्र में आम जनता में भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आपके विरूद्व खैरा थाना में सनहा संख्या 576/15 एवं सनहा संख्या 612/15 दर्ज किया गया है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस न्यायालय के ज्ञापांक 731, दिनांक 01.10.2015 के द्वारा विपक्षी से कारण पृच्छा किया गया, एवं दिनांक 06.10.15 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। सुनवाई की तिथि 06.10.2015 को विपक्षी उपस्थित हुए। उनके द्वारा अपना जवाब, अपनी हाजरी एवं वकालतनामा संबधित कागजात प्रस्तुत किया गया। दिनांक 06.10.2015 को विपक्षी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विपक्षी ने कभी भी कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया है। विपक्षी खैरा थाना कांड संख्या (नगरा ओ0पी0) 11/15 में जमानत पर है। विपक्षी एक व्यवसायी है, और स्थानीय राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। गांव की	

दुश्मनी की वजह से उसके द्वारा गलत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। विपक्षी के विरूद्ध दर्ज दोनों सनहा निराधार और बेबुनियाद है। उनके विरूद्ध धारा 3 की कार्रवाई समाप्त करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक,सारण,छपरा के द्वारा बताया गया कि पुलिस प्रतिवेदन में विपक्षी के विरूद्ध दो कांड एवं दो सनहा का उल्लेख किया गया है। अतः आसन्न बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के मद्देनजर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए विपक्षी के विरूद्ध धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई अपेक्षित है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरांत मैं पाता हूँ कि विपक्षी रंजीत कुमार ब्याहुत, पे0-पुरन साह, सा0- कारीपुर नगरा, थाना-खैरा (नगरा ओ0पी0), जिला-सारण के विरूद्ध दर्ज दो थाना कांड का निष्पादन नहीं हुआ है। उनके द्वारा किसी भी वाद के समाप्त होने तथा उन्हें दोषमुक्त किए जाने संबंधी कोई भी न्यायादेश की सत्यापित प्रति संलग्न कर प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः आसन्न बिहार विधान सभा चुनाव 2015 के मद्देनजर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए धारा 3 के अंतर्गत विपक्षी के विरूद्ध कार्रवाई आवश्यक है। अतः मैं बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देता हूँ कि **इस आदेश की तामिला की तिथि से 12.11.2015 तक विपक्षी को दिघवारा थाना में अपनी हाजरी प्रतिदिन दो बार-9:00 प्रातः एवं 5:00 बजे सायं में अंकित करना सुनिश्चित करेंगें।** इस आशय का दैनिक प्रतिवेदन थानाध्यक्ष, दिघवारा थाना अधोहस्ताक्षरी सहित पुलिस अधीक्षक,सारण, छपरा, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/ सोनपुर तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर/सोनपुर को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगें। **यदि विपक्षी के द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो थानाध्यक्ष, दिघवारा इससे संबंधित प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, सारण को पेषित करना सुनिश्चित करेंगें। तत्पश्चात् पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा विपक्षी के विरूद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई का प्रस्ताव प्रेषित करेंगें।**

विपक्षी को निर्देश है कि वे अविलंब विभाग के द्वारा प्रावधानित **संलग्न प्रपत्र में** रूपये 20,000(बीस हजार) मात्र का इस आशय से संबंधित बंधपत्र एवं इतनी ही राशि की दो स्वतंत्र प्रतिभूतियां उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें कि आगामी विधान सभा चुनाव 2015 में उनके द्वारा किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। आदेश एवं बंधपत्र की शर्त्तों की अवहेलना की स्थिति में विपक्षी के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

इस जिले में मतदान दिनांक 28.10.2015 को निर्धारित है। विपक्षी को निर्देश है कि मतदान की तिथि को सर्वप्रथम खैरा थाना पर प्रातः 7:00 बजे अपनी हाजरी अंकित करेंगे तथा संध्या 6:00 बजे तक थाना पर ही

मौजूद रहेंगें। थानाध्यक्ष खैरा थाना को निर्देश है कि वे अपनी देख-रेख में विपक्षी को उनसे संबंधित बूथ पर ले जाकर मतदान करवाना सुनिश्चित करेंगें।

उक्त आदेश की अवधि दिनांक 12.11.2015 को संध्या 6:00 बजे तक रहेगी। इसके पश्चात् यह स्वतः विलोपित समझा जाएगा।

लेखापित एवं संशोधित

06/10/15

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा

06/10/15

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा

ज्ञापांक 825 /न्या0, दिनांक 6.10.15

प्रतिलिपिः-पुलिस अधीक्षक, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संलग्न आदेश का तामिला संबंधित व्यक्ति को तथा संबंधित पदाधिकारियों को कराते हुए तामिला प्रतिवेदन यथाशीघ्र भेजने का कष्ट किया जाए।

प्रतिलिपिः-थानाध्यक्ष, खैरा एवं थानाध्यक्ष, दिधवारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-रंजीत कुमार ब्याहुत, पे0-पुरन साह, सा0- कारीपुर नगरा, थाना-खैरा (नगरा ओ0पी0), जिला-सारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।